

वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां *

डी. सुब्बाराव

यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मैं इस शाम यहां उपस्थित हूँ और बैंकों के एक विशिष्ट समूह के सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूंकि यह एक आंतरिक बैठक है और हम सब पेशेवर सहभागी हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि सभी स्पष्ट रूप से अपने विचार रखें। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि कोलकाता में बैंकर्स क्लब को अभी हाल में पुनर्जीवित किया गया है और यह बैंक समुदाय के अंदर पेशेवाराना वार्तालाप को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है।

2. वैश्विक वित्तीय संकट अब समाचारों के मुख्य पृष्ठ का प्रमुख समाचार बन गया है। भारत सहित विश्व के बैंक संकट समाधान की चुनौती का प्रबंधन करने में जुटे हुए हैं। चूंकि यह समसामयिक विषय है, अतः इस अवसर पर मैं वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल, भारत पर इसके प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना और विशेष रूप से, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को रखना चाहूंगा।

वैश्विक वित्तीय संभावना

3. वैश्विक वित्तीय स्थिति अनिश्चित और अव्यवस्थित बनी हुई है। अमरीकी आवास बंधक क्षेत्र में सब-प्राइम संकट के रूप में जो शुरुआत हुई, वह अब उत्तरोत्तर रूप से वैश्विक बैंकिंग संकट, वैश्विक वित्तीय संकट और अब वैश्विक आर्थिक संकट के रूप में बदल गई है। अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में प्रायः आवास को गैर-विपणनीय वस्तु के प्रमुख उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। यह विरोधाभास है कि आवास के रूप में सर्वोत्कृष्ट गैर-विपणनीय वस्तुओं ने वैश्विक स्तर के संकट को उत्पन्न किया है। यह इस अर्थ में अपने तरह का पहला संकट है क्योंकि महा मंदी (ग्रेट डिप्रेशन) के बाद यह पहला वित्तीय संकट है जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न हुआ और जिसने समूचे विश्व को तेजी से निगल लिया। वित्तीय

* 10 दिसंबर 2008 को बैंकर्स क्लब, कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ.डी.सुब्बाराव का भाषण।

वैश्वीकरण की ऐसी गहनता और विस्तार है। अब तक का सबसे अधिक बार-बार पूछे जानेवाला प्रश्न यह है कि क्या वित्तीय क्षेत्र की मंदी और विशेष रूप से, वित्तीय संस्थाओं की असफलता के रूप में, सबसे बड़े दुर्दिन हमारा पीछा कर रहे हैं। कोई भी वास्तव में इसकी स्पष्ट परिभाषा देना नहीं चाहता, जो अज्ञात अनिश्चितताओं की लंबी कतार का संकेतक है।

4. हाल में भी छह महीने पहले तक ऐसा विचार था कि संकट का प्रभाव वित्तीय क्षेत्र तक सीमित रहेगा और, अधिक से अधिक, उन्नत अर्थ व्यवस्थाओं में केवल हल्की मंदी होगी। ये प्रत्याशाएं, अब गलत साबित हो गई हैं। यह संक्रमण वित्तीय से वास्तविक क्षेत्र में पहुंच गया है और अब ऐसा लगता है कि मंदी और बढ़ेगी तथा हालात में सुधार में अनुमान से अधिक लंबा समय लगेगा।

वैश्विक आर्थिक संभावना

5. कई अर्थशास्त्री अब ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2008/09 की 'महा मंदी' 1930 के दशक की वैश्विक मंदी से अधिक भयानक होगी। आइएमएफ ने अक्टूबर 2008 में प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वैश्विक वृद्धि संबंधी नियमित पूर्वानुमान जारी कर दिया है। नवंबर के प्रारंभ तक, आइएमएफ ने वैश्विक वृद्धि के लिए अपने संशोधित पूर्वानुमान को 2008 के लिए 3.9 प्रतिशत से घटाकर 3.7 प्रतिशत और 2009 के लिए 3.0 प्रतिशत से घटाकर 2.2 प्रतिशत कर दिया है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक, वैश्विक स्थिति दो महीने से कम अवधि में तेजी से खराब हुई है। दो, 2009 का वर्ष 2008 की तुलना में और अधिक चुनौती भरा वर्ष होने जा रहा है।

उभरती अर्थव्यवस्थाएं

6. यह विडंबनापूर्ण बात है कि हाल में छह महीने पहले तक भी, 'डिकपलिंग थ्योरी' का समर्थन करना बुद्धिमानी

मानी जाती थी और यह कहा जाता था कि यदि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आ भी जाए, तो खराब से खराब स्थिति में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इसका मामूली-सा ही प्रभाव होगा और वे किसी तरह अपने आप इस स्थिति से पार निकल जाएंगी। तेजी से वैश्वीकृत होते विश्व में, डिकपलिंग थ्योरी कभी भी प्रत्ययकारी नहीं रही; पिछले कुछ महीनों के साक्ष्य अर्थात् पूंजी प्रवाह विपर्ययन, सरकारी और कंपनी ऋण के बीच तेजी से बढ़ते अंतर और मुद्राओं के तीव्र मूल्यपस को देखते हुए, डिकपलिंग थ्योरी की विश्वसनीयता लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि संभावनाएं जारी संकट से निश्चित रूप से कमतर हुई हैं, हालांकि विभिन्न देशों के बीच इसमें काफी अंतर है।

संकट का भारत पर प्रभाव

7. भारत को भी संकट के नकारात्मक प्रभाव बर्दाश्त करने होंगे। जैसे-जैसे भारत पर संकट के प्रभाव नजर आते जा रहे हैं, अक्सर दो प्रश्न खड़े हो रहे हैं : एक, कैसे भारत प्रभावित हुआ है जबकि यह एशियाई संकट से सापेक्षिक रूप से बिना नुकसान के बाहर निकल आया था? दो, भारत क्यों प्रभावित हुआ है जबकि इसका निर्यात इसके जीडीपी का केवल 15 प्रतिशत है ? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर वैश्वीकरण में निहित हैं। हम दस वर्ष पहले एशियाई संकट के समय की तुलना में आज निश्चित रूप से विश्व अर्थ व्यवस्था के साथ बहुत अधिक समन्वित हो गये हैं। विश्व के साथ समन्वयन का अर्थ केवल निर्यात से और कुछ ज्यादा है। वैश्वीकरण के सामान्य मापन को दृष्टि में रखते हुए, जीडीपी के अनुपात के रूप में, भारत का दु-तरफा व्यापार (पण्य माल निर्यात + आयात) एशियाई संकट के वर्ष अर्थात् 1997-98 के 21.2 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 34.7 प्रतिशत हो गया। यदि हम वैश्वीकरण की विस्तारित माप अर्थात् जीडीपी की तुलना

में कुल बाह्य लेने - देनों (सकल चालू खाता प्रवाह + सकल पूंजी प्रवाह), के अनुपात को ध्यान में रखें तो यह अनुपात 1997-98 के 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 117.4 प्रतिशत हो गया है। ये आंकड़े स्पष्ट प्रमाण हैं कि पिछले 10 वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत का समन्वयन बढ़ा है।

8. हमें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के संकट और भारत की गतिविधियों के बीच दूसरे महत्वपूर्ण अंतर पर भी ध्यान देना होगा। जबकि उन्नत अर्थव्यवस्था में संक्रमण वित्तीय से वास्तविक क्षेत्र में फैला है, भारत में, वास्तविक क्षेत्र की मंदी वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, जिसका वास्तविक क्षेत्र पर दूसरे क्रम का प्रभाव पड़ा है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली

9. भारतीय बैंकिंग प्रणाली का प्रत्यक्ष रूप से सब - प्राइम बंधक आस्तियों के प्रति एक्सपोजर नहीं है। इसका अमरीकी बंधक मार्केट अथवा असफल संस्थाओं अथवा समस्याग्रस्त आस्तियों के प्रति बहुत सीमित एक्सपोजर है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के भारतीय बैंक वित्तीय रूप से सुदृढ़, भली प्रकार पूंजीकृत और सुविनियमित हैं। नौ प्रतिशत के विनियामक न्यूनतम और आठ प्रतिशत के बासेल के मानदंड के मुकाबले मार्च 2008 के अंत में भारतीय बैंकिंग प्रणाली का जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में औसत पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 12.6 प्रतिशत था। इस सबके बावजूद, वृद्धि में पहले से ही प्रत्याशित चक्रीय गिरावट के अलावा मौद्रिक, वित्तीय, और वास्तविक चैनल के माध्यम से भारत वैश्विक संकट का अप्रत्यक्ष प्रभाव झेल रहा है। हमारे वित्तीय बाजार - इक्विटी बाजार, मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और ऋण बाजार, सभी मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण, जिसे हमने 'प्रतिस्थापन प्रभाव' कहना शुरू किया है, दबाव के अंतर्गत आ गये हैं: (i) भारतीय बैंकों

और भारतीय कंपनियों के लिये विदेशी वित्तीयन का शुष्क होना; (ii) मंदी से गुजर रहे घरेलू पूंजी बाजार में पूंजी जुटाने की बाधाएं; और (iii) कंपनियों के आंतरिक उपचय में गिरावट। इन सभी कारकों ने घरेलू ऋण बाजार पर दबाव बढ़ाया।

10. उसी समय, वैश्विक डिलीवरेजिंग प्रक्रिया के कारण हुए पूंजी प्रवाह के विपर्ययन ने विदेशी मुद्रा बाजार पर दबाव डाला है। अक्टूबर 2008 में ओवरनाइट मुद्रा बाजार दरों में तीव्र उतार-चढ़ाव और रुपए के मूल्य में गिरावट ने वैश्विक ऋण की कमी और जारी डिलीवरेजिंग प्रक्रिया के संयुक्त प्रभाव को दर्शाया।

भारत के लिए संभावना

11. भारत के लिए भावी संभावना मिश्रित है। आर्थिक गतिविधियों में मंदी के लक्षण उभरे हैं। 2008-09 की पहली छमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर में कमी आई। औद्योगिक गतिविधि, विशेष रूप से विनिर्माण और आधारभूत क्षेत्र में, घट रही है। सेवा क्षेत्र भी, जो पिछले पाँच वर्षों से हमारी वृद्धि का मुख्य कारक था, मुख्य रूप से निर्माण, परिवहन, और संचार, व्यापार, होटल और रेस्तरां उप क्षेत्र में धीमा पड़ रहा है। सात वर्षों में पहली बार, अक्टूबर 2008 में निर्यात में समग्र अर्थ में गिरावट आई है। हाल के आंकड़े बतलाते हैं कि प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि के बावजूद बैंक ऋण की मांग कम हो रही है। इनपुट की अधिक लागत और गिरती मांग ने कंपनियों के लाभ को घटाया है जबकि संकट से उत्पन्न अनिश्चितता ने कारोबार विश्वास को प्रभावित किया है।

मुद्रास्फीति

12. सकारात्मक पक्ष में, हेडलाइन मुद्रास्फीति, जो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है, तेजी से घटी है और

यह गिरावट पिछले चार हफ्तों से बनी हुई है, जो मुद्रास्फीति में प्रत्याशा से ज्यादा कमी की ओर संकेत करती है। मुख्यतः वस्तुओं के गिरते दाम अवस्फीति के प्रमुख प्रेरक बने हुए हैं; तथापि कुछ योगदान घटती घरेलू मुद्रास्फीति ने भी किया है। पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल के दामों में घोषित कमी और उत्पाद शुल्क में कटौती से मुद्रास्फीतिक दबाव और कम होंगे। निश्चित तौर पर, सितंबर और अक्टूबर 2008 के महीने में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ी। यह संभवतः खाद्य वस्तु मुद्रास्फीति के बढ़ने और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के मापन में खाद्य वस्तुओं के अधिक भार के कारण है। ऐतिहासिक रूप से, थोक और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के बीच सकारात्मक सह-संबंध बना हुआ है, और इस सह-संबंध को देखते हुए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के आगामी महीनों में कम होने की आशा की जा सकती है।

आरबीआइ का नीतिगत रुझान

13. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का रुझान लगातार वृद्धि, मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता की चिंताओं को संतुलित करना रहा है। जब इस वर्ष के प्रारंभ में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी, आरबीआइ को नीतिगत रुख में तुरंत कड़ाई लानी पड़ी। पुनः, बदलते वैश्विक घटनाक्रम और मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रत्याशा को दर्शाते हुए आरबीआइ ने पिछले कुछ महीनों में अपने मौद्रिक रुझान को समायोजित किया है। घरेलू और विदेशी मुद्रा दोनों की चलनिधियों का प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना कि ऋण उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाते रहें, ऐसा हमारी मौद्रिक नीति का प्रयास रहा है।

अब तक किये गये उपाय

14. रिजर्व बैंक ने रुपया और विदेशी मुद्रा चलनिधि को डालने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह

बनाए रखने के उद्देश्य से कई उपाय किये हैं। रुपया चलनिधि को बढ़ाने वाले उपायों में शामिल हैं: आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में काफी अधिक कटौती, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कटौती, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और म्यूच्युअल फंडों (एमएफ) को उधार देने हेतु बैंकों के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत विशेष रिपो विंडो खोलना, और एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करना जिस तक बैंक बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के पहुंच सकते हैं। चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए रिजर्व बैंक बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) की प्रतिभूतियों को भी अनवाइंड कर रहा है, जो मोटे तौर पर सरकारी उधार कार्यक्रम के साथ-साथ चलेगी।

15. विदेशी मुद्रा चलनिधि का प्रबंधन करने के उपायों में शामिल हैं: विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता [एनआर (इ)आरए] जमाराशियों पर ब्याज दर की सीमा का ऊर्ध्वगामी समायोजन, बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) व्यवस्था को काफी आसान बनाना, विदेशी उधार तक पहुंच के लिए एनबीएफसी और एचएफसी को अनुमति देना तथा वर्तमान अवसादग्रस्त वैश्विक बाजार में छूट का लाभ उठाने के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की (एफसीसीबी) पुनर्खरीद के लिए कंपनियों को अनुमति देना। रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों को अपनी अल्पकालिक निधियों की आवश्यकताओं का प्रबंधन आसान बनाने के लिए रुपया-डॉलर स्वैप सुविधा भी शुरू की है।

16. दबाव के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उपायों में शामिल हैं: निर्यात के लिए लदान पूर्व और लदानोत्तर ऋण की अवधि बढ़ाना, निर्यात के लिए पुनर्वित्त सुविधा का विस्तार करना, सभी प्रकार की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानन मानदंड (कृषि और

छोटे तथा मझौले उद्यमों को दिए गये प्रत्यक्ष अग्रिम जो 0.25 प्रतिशत बने हुए हैं, के मामले को छोड़कर) तथा कुछ क्षेत्रों के लिए बैंकों के एक्सपोजर पर जोखिम भार, जो पहले प्रतिचक्रीय रूप से बढ़े थे, का प्रतिचक्रीय समायोजन करना और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एकजिम बैंक) को उपलब्ध उधार देने योग्य संसाधनों को बढ़ाना।

17. उत्पादक क्षेत्रों के प्रति उचित लागत पर ऋण प्रवाह में सुधार करना जिससे वृद्धि की गति बनाई रखी जा सके, रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीति दर अर्थात् रिपो दर को 19 अक्टूबर को 250 आधार अंक घटाकर 9.0 प्रतिशत से 8 दिसंबर 2008 को 6.5 प्रतिशत करके ब्याज दर ढांचे को कम करने का संकेत दिया।

18. यद्यपि, हम वैश्विक वित्तीय और आर्थिक गतिविधि के प्रति सुभेद्य बने हुए हैं, अब तक किये गये उपायों ने चलनिधि और ऋण प्रवाह स्थिति को काफी अधिक आसान बनाया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वैश्विक संकट के प्रभाव का प्रबंधन करने में, हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई नीतिगत उपाय पूरी तरह से लागतहीन नहीं होता। लागत और लाभ के बीच इस नाजुक संतुलन का प्रबंधन करना हमारे लिए एक चुनौती है।

19. आरबीआइ द्वारा किये गये उपायों की प्रशंसा हुई है तो आलोचना भी की गई है। मैं आपको आश्चर्य करना चाहूंगा कि हम जितना अधिक अपने प्रशंसकों को महत्व देते हैं उतना ही अधिक आलोचकों को। जबकि कुछ आलोचना उचित और मूल्य वर्धन करने वाली रही है, इनमें से कुछ आरबीआइ के दृष्टिकोण की अपर्याप्त समझ के कारण रही है। मेरा विचार है कि अपने दृष्टिकोण को बताना लाभदायक होगा ताकि कई महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति के मुद्दों पर पूरी जानकारी के साथ सार्वजनिक चर्चा हो सके।

20. अब हर कोई सहमत है कि वर्तमान समय में इस संकट का भावी मार्ग बहुत अधिक अनिश्चित है। आज भी, संकट के मार्ग को साफ-साफ देखना और आगामी महीनों में इसका हल निकालना संभव नहीं है। यह भी संभव नहीं है कि एक बारगी में एक सही-सही रोड मैप बनाया जा सके। यह संकट हमें आराम करने की अनुमति नहीं देता। और, आप इस बात पर ध्यान दें कि भारत इस संबंध में अकेला देश नहीं है। लगभग प्रत्येक देश को, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ हो अथवा नहीं, अनिश्चितता के अंतर्गत कार्य करना होगा। साधारण रूप से ऐसी बहुत-सी अज्ञात अनिश्चितताएं हैं।

21. इन परिस्थितियों में, आसन्न गतिविधियों की प्रत्याशा में आरबीआइ का रुख उभरती स्थिति के प्रति तेजी से और प्रभावी तरीके से जवाबी कार्रवाई करना तथा जहां तक संभव हो आगे के घटनाक्रमों का अनुमान लगाना रहा है। हमारे पास एक रोड मैप है जो व्यापक और व्यावहारिक है। यह हमारा प्रयास होगा कि उभरती वैश्विक गतिविधियों के प्रति यह रोड मैप अपनाया जाए और इसे लोचपूर्वक और व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित किया जाए। हमारा दृष्टिकोण, जैसा कि वास्तव में विश्व के प्रत्येक विवेकशील केंद्रीय बैंकर रखते हैं, 'सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने' का रहा है। आरबीआइ निरंतर सतर्क रहेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट के प्रभाव को कम करने के लिए अपने अधिदेश के अंतर्गत हर संभव प्रयास करेगा।

आगे की चुनौतियां

22. अब मैं देश में बैंकिंग प्रणाली के द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों की बात करूंगा, विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय संकट को देखते हुए।

पहली चुनौती : ऋण प्रवाह को बनाए रखना

23. विश्व के लिए और भारत के लिए संभावना अनिश्चित बनी हुई है। वैश्विक संकट का भावी मार्ग अभी

तक स्पष्ट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, वर्ष 2009-10 वर्तमान वर्ष की तुलना में और अधिक चुनौती भरा होगा। नवंबर 2008 के महीने में ऋण मांग में उल्लेखनीय कमी आई लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह एक बारगी की घटना थी अथवा यह एक रुझान को दर्शाती है। यदि यह आर्थिक गतिविधि मंद पड़ने का परिचायक है, तो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र के लिए सुदृढ़ ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, जैसाकि आप जानते हैं, आर्थिक वृद्धि को, सामान्य समय में भी, प्रभावी वित्तीय मध्यस्थता की जरूरत होती है-और यह एक बड़ी चुनौती है जिसे बैंकिंग समुदाय को सामना करना है। अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र के लिए निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि मांग को जारी रखा जा सके जबकि ऋण गुणवत्ता को भी बनाए रखा जा सके।

24. उधार देने के दो पहलू हैं अर्थात् उपलब्धता और ऋण लागत। जबकि ऋण की उपलब्धता एक मुद्दा नहीं होनी चाहिए, ऋण की लागत वर्तमान समय में एक मुद्दा प्रतीत हो रही है। ऐसे दो कारण प्रतीत हो रहे हैं जो बैंकों को ऋण प्रदान करने से रोकते हैं: पहला कारण है जमाओं पर अधिक ब्याज दरों के कारण उच्च भारित औसत निधि लागत और दूसरा कारण है ऋण गुणवत्ता के बारे में चिंताएं, जो बैंकों को जोखिम लेने के प्रति अनिच्छुक बनाती है, विशेष रूप से कुछ खंडों में उधार देने के प्रति। पिछले वर्ष के दौरान, रुझान में तीव्र विपर्ययन हुआ है और, जैसा कि पहले कहा गया है, ऋण की मांग घट रही है। बैंकों से निधीयन की घटी हुई मांग ने उन्हें जमा राशि पर ब्याज दरें घटाने के लिए विवश किया है और इस प्रकार निधियों की समग्र लागत घटी है। इसके अलावा, समष्टि दृष्टिकोण से हेडलाइन मुद्रास्फीति में अब तक देखी गयी गिरावट और आगामी महीनों में मुद्रास्फीति कम होने की प्रत्याशाओं से सांकेतिक ब्याज दरों में कटौती हो सकेगी। ये गतिविधियां

कम ब्याज दर पर उधार देने में सुविधा प्रदाना करेंगी, उधार देयताओं को और व्यवहार्य बनाएंगी तथा, कम-से-कम आंशिक रूप से बैंकों की जोखिम लेने की अरुचि को समाप्त करेंगी।

25. मैं आपको आश्चस्त करना चाहूंगा कि आरबीआइ, अपनी ओर से, प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखना जारी रखेगा जिससे अर्थव्यवस्था के लिए ऋण का प्रवाह हो सके।

दूसरी चुनौती: कैसे हम वित्तीय क्षेत्र के विनियमन को सुधारे?

26. अब तक, संकट ने जिस सर्वाधिक विवादित और सर्वाधिक मूल्यवान वाद-विवाद को जन्म दिया है वह वित्तीय क्षेत्र के विनियामक ढांचे की कमियों के बारे में रहा है। बहुत से मुद्दे सामने आये हैं। मैं उनमें से कुछ पर चर्चा करूंगा। कैसे जटिल डेरिवेटिव उत्पाद को, जिसने प्रणाली के अंदर जोखिम संप्रेषित किया, और पारदर्शी बनाया जा सकता है? ऋण डेरिवेटिव जैसे संरचित उत्पादों के वित्तीय स्थिरता संबंधी क्या निहितार्थ हैं? क्या एक्सचेंजों में लेनेदेन किये जाने वाले डेरिवेटिव ओवर दी काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव से बेहतर हैं? कैसे हम 'ओरिजिनेट-टू-डिस्ट्रीब्यूट' मॉडल की कमियों को समाप्त कर सकते हैं? क्या सार्वभौमिक बैंकिंग, जो मॉडल अमरीका ने अपनाया है, उपयुक्त है? क्या हम थोक और खुदरा बैंकिंग दोनों के लिए एक ही विनियामक प्रणाली लागू कर सकते हैं?

27. उपर्युक्त सभी प्रश्नों का सार है कि वर्तमान विनियामक प्रणाली में कमियों को कैसे पहचाना जाए और संभावित समाधानों को बताया जाये। इसमें संदेह नहीं है कि हमें इन सभी प्रश्नों पर कार्य करना चाहिए। ऐसा करते समय, मैं कहना चाहूंगा कि हमें दो बातें याद रखनी हैं। पहली बात यह याद रखनी है कि एक ही नियम सभी पर लागू नहीं

होता। उदाहरण के लिए, सार्वभौमिक बैंकिंग कुछ देशों और कुछ स्थितियों के लिए अच्छी हो सकती है तथा कुछ स्थितियों के लिए नहीं। दूसरी बात यह याद रखनी है कि कुछ विनियमन, तार्किक तौर पर, अपेक्षित स्तर के नहीं होते। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि विनियमों को वित्तीय बाजार के नवोन्मेषों के साथ चलना होगा लेकिन ऐसा करते समय, हमें विनियमों में ज्यादा कड़ाई के जोखिम को ध्यान रखना होगा, ऐसा न हो कि नवोन्मेषों का गला घुट जाए।

तीसरी चुनौती: विनियामक प्रविरिति (फॉरबियेरेंस) और शिथिल विनियामक मानदंड

28. विभिन्न क्षेत्रों से लगातार मांग हो रही है कि बैंकिंग क्षेत्र पर लागू वर्तमान विवेकपूर्ण विनियमों के संबंध में विनियामक प्रविरिति रखी जाए। प्रति-चक्रीय पैकेज के रूप में, हमने पहले ही वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों में अनेक परिवर्तन किये हैं। इनमें शामिल हैं: (क) बिना रेटिंग वाली कंपनी और वाणिज्यिक जमीन- जायदाद वाले दावों के लिए जोखिम भार में कटौती करके 100 प्रतिशत करना; (ख) सभी मानक आस्तियों के लिए प्रावधानन अपेक्षाओं को घटाकर 0.40 प्रतिशत तक लाना; (ग) आवास ऋणों को पुनर्संचित करने की अनुमति देना चाहे संशोधित भुगतान अवधि दस वर्ष अधिक हो गई हो; (घ) पुनर्संचित वाणिज्यिक जमीन -जायदाद के एक्सपोजर को विशेष उपाय की पात्रता के अंतर्गत लाना, यदि पुनर्संचना 30 जून 2009 के पहले हुई हो।

29. विनियामक प्रविरिति की और मांग की जा रही है। उदाहरण के लिए, यह मांग हो रही है कि 90 दिन के वर्तमान मानदंड से परे, जिसके पश्चात ऋण आस्ति को अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बकाए की अवधि बढ़ाकर आस्ति वर्गीकरण के मानदंड को शिथिल किया जाए। इस

मांग में अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि लंबी अवधि तक बैंकों द्वारा गैर अनर्जक ऋणों (एनपीएल) को पहचानने से बचने के लिए अनुमति दी जाए। क्या 90 दिन के नियम को शिथिल करके एनपीएल मानदंड में परिवर्तन करना वांछनीय है? यह मांग संभवतः इस तर्क पर आधारित है कि मानदंड में शिथिलीकरण बैंकों के वित्तीय स्वरूप को बेहतर बनाएगा, उनको कम आरक्षित निधि करने की अनुमति देगा, पूंजी की बचत करेगा, तथा उन्हें और अधिक ऋण उपलब्ध कराने की भी सुविधा देगा (अथवा कम-से-कम ऋण में कटौती नहीं होगी)। तथापि, मांगे जा रहे शिथिलीकरण के विरुद्ध कुछ मजबूत तर्क हैं। इनमें कुछ पर मैं चर्चा करूंगा:

- (i) एनपीएल के पहचानने में विलंब होने से समस्या को तुरंत निपटाने के लिए बैंकों पर दबाव नहीं पड़ता है। पूर्व के उदाहरण बतलाते हैं कि आस्तियों के मूल्य में गिरावट की पहचान में देरी से समस्याएं केवल गंभीर होंगी। जितना शीघ्र हो सके बैंक ऋण का पुर्नगठन करना (अर्थात् सीडीआर प्रणाली के माध्यम से) अथवा, जहां उपयुक्त हो, ऋण को वसूली के लिए भेजना बेहतर होगा।
- (ii) इस वैश्विक मंदी के लंबे समय तक रहने की संभावना है। यदि बैंक अभी अपनी ऋण संबंधी समस्या को नहीं पहचानते हैं, और उन पर तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं, तो समय बीतने के साथ यह समस्या और जटिल होगी और वे भविष्य में उससे जूझ रहे होंगे।
- (iii) विवेकपूर्ण विनियामक मानदंडों को आसानी से परिवर्तित नहीं करना चाहिए, विशेष कर जब बाजार हासिए पर पहुंच गया हो। यदि इस धारणा को बल मिलता है कि संशोधित मानदंड बैंकिंग क्षेत्र में हानि की मात्रा को कम आंकते हैं और आस्ति गुणवत्ता का अधिक मूल्य आंकते हैं, तो बाजार में खराब स्थिति

की संभावना हो सकती है और बाजार अनुशासन के माध्यम से बैंकों को अनावश्यक रूप से सजा मिल सकती है।

30. ये मुद्दे हैं जिन पर हमें विनियामक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते समय विचार करने की आवश्यकता है।

चौथी चुनौती: बासेल II ढांचे का प्रभावी कार्यान्वयन

31. जैसा कि आप जानते हैं, 31 मार्च 2008 से भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा पहले ही बासेल II ढांचे में अंतर्गत हो चुका है और बचे हुए वाणिज्यिक बैंक 31 मार्च 2009 तक ऐसा ही कर लेंगे। तथापि, प्रणाली की तैयारी की स्थिति के संबंध में, हमने, वर्तमान में, ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध केवल सरल दृष्टिकोण को अपनाया है। आरबीआइ को अभी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए समय सीमा घोषित करनी है लेकिन इन दृष्टिकोण की ओर अंतरण अंतिम लक्ष्य है - जिसके लिए बैंकिंग प्रणाली को अपनी तैयारी पूरी गंभीरता से करने की आवश्यकता होगी।

32. उन्नत दृष्टिकोण की ओर अंतरण बैंकों तथा बैंकिंग विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में, आरबीआइ के लिए भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। उन्नत दृष्टिकोण के अंतर्गत अपेक्षित जोखिम मानदंडों की गणना करने के लिए दीर्घ समय-श्रृंखला आंकड़ों की उपलब्धता पहली चुनौती है। बासेल II ढांचे के अंतर्गत सही जोखिम मूल्यांकन के लिए बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो से संबंधित सही गुणवत्ता वाले, संबद्ध और विश्वसनीय आंकड़े तथा सूचनाएं और आधुनिक आइटी संसाधन महत्वपूर्ण हैं। ऋण जोखिम मॉडल की संरचना और कार्यान्वयन में आंकड़ों की सीमा प्रमुख बाधक है। शाखाओं के व्यापक नेटवर्क को देखते हुए, भारत में यह हमारे लिए एक प्रमुख चुनौती

साबित हो सकती है- यद्यपि बैंकिंग उद्योग में बढ़ता कम्प्यूटरीकरण काफी मददगार सिद्ध हो सकता है।

33. बासेल II ढांचे के अंतर्गत ऋण जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोण को भी बैंकों द्वारा जोखिम मॉडल के प्रयोग की आवश्यकता भी दूसरी चुनौती है। विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए मॉडल के प्रयोग किये जाने की अनुमति दिए जाने के पहले बैंक द्वारा स्वयं और पर्यवेक्षक द्वारा भी इन मॉडलों के आंतरिक वैधीकरण की आवश्यकता होगी। ऐसे वैधीकरण की प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञ के कौशल की आवश्यकता होती है जिसको विकसित और पोषित किया जाना है।

34. बासेल II ढांचा मूल रूप से बैंकों में सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन करने के लिए है, इसके प्रभावी कार्यान्वयन विशेष रूप से उन्नत दृष्टिकोण के लिए, बैंकिंग प्रणाली के स्तर पर और आरबीआइ के अंदर भी कौशल को तीव्र और काफी अधिक अद्यतन करने की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में, बैंकों द्वारा सामना की जा रही चुनौती के बहुपक्षीय होने की संभावना है अर्थात् कौशल आवश्यकता का मूल्यांकन, अंतराल को पहचानना और भरना, प्रतिभा को पहचानना, उपलब्ध प्रतिभा का आदर्शतम उपयोग करना, नयी प्रतिभा को आकर्षित करना, प्रतिभा को बनाए रखना और प्रबंधन में परिवर्तन। इसलिए बैंकों को मानव संसाधन सहित अपने जोखिम प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी आयामों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आरबीआइ में, इस संबंध में हम अपनी चुनौतियों के प्रति सतर्क हैं और आवश्यक उपाय कर रहे हैं।

35. बासेल II के कार्यान्वयन के लिए सेक्टरल पर्यवेक्षकों, विशेष रूप से वित्तीय समूह के संदर्भ में, घनिष्ठ सहयोग, सूचनाओं के आदान-प्रदान, और नीतियों के समन्वयन की आवश्यकता होगी। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बाजार के विभिन्न खंडों को नियमित करने के लिए पृथक

पर्यवेक्षी प्राधिकारी की विद्यमानता बासेल II के कार्यान्वयन के लिए न केवल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बल्कि क्षेत्राधिकार के बाहर भी चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है - जिसके लिए विभिन्न देशों में प्रभावी पर्यवेक्षी सहयोग और समन्वयन की आवश्यकता होगी।

पांचवीं चुनौती: पूर्वी भारत में बैंकिंग विकास और वित्तीय समावेशन की आवश्यकता

36. देश के पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग विकास राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहा है, जैसाकि कई मानदंडों पर आधारित माप से पता चलता है। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ प्रमाण दूंगा:

- मार्च 2008 में, अखिल भारतीय प्रति शाखा जनसंख्या कवरेज 15,400 था। पूर्वी क्षेत्र के लिए आंकड़े बिहार में 25,000 से लेकर सिक्किम में 9,600 तक हैं।
- मार्च 2007 में, अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जमा 28,600 रु. थी। पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुरूपी आंकड़ा 14,400 रु. था। इसी प्रकार, अखिल भारतीय स्तर के 28,600 रु. के प्रति व्यक्ति ऋण के मुकाबले, पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुरूपी आंकड़ा केवल 7,200 है।
- मार्च 2007 में, अखिल भारतीय स्तर पर, बैंक खाता रखने वाले लोगों की संख्या 41 प्रतिशत थी। पूर्वी क्षेत्र के लिए तदनु रूप जनसंख्या केवल 30.7 प्रतिशत थी, बिहार के लिए यह 21.1 प्रतिशत से लेकर पश्चिम बंगाल में 39.6 प्रतिशत थी।
- मार्च 2007 में, अखिल भारतीय स्तर पर, ऋण-जमा अनुपात 74.5 प्रतिशत था। पूर्वी क्षेत्र के लिए, यह अनुपात 50 प्रतिशत ही था।

37. इंफ्रास्ट्रक्चर कवरेज और अन्य विकास संकेतकों के अर्थ में, पूर्वी क्षेत्र उतना विकसित नहीं है जितना देश के अन्य क्षेत्र हैं। निश्चित तौर पर, इससे ऋण अवशोषण क्षमता प्रभावित होती है और ऊपर उल्लिखित कुछ मानदंडों के निम्नतर होने की बात की व्याख्या भी की जा सकती है। तथापि, इसे कोई कार्रवाई न करने का एक बहाना नहीं माना जा सकता। तेज कार्रवाई करने के लिए जोर दिया जाना चाहिए।

38. वित्त विकास को आगे बढ़ा सकता है जितना कि उसके द्वारा विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह बात विशेष रूप से गरीब व्यक्तियों के लिए सत्य है। बिहार और पश्चिम बंगाल की लगभग एक तिहाई जनता गरीबी रेखा से नीचे है। और अधिक वित्तीय समावेशन के माध्यम से बचत, ऋण और उचित मूल्यों पर बीमा उत्पाद उपलब्ध कराना संभव होगा और इससे बड़ी मात्रा में आय और रोजगार उत्पन्न होगा।

39. हमें मानना होगा कि उधारकर्ता के लिए औपचारिक वित्त की विकल्प लागत काफी अधिक है जिससे मात्र वित्तीय समावेशन उस मूल्य को अनलॉक कर सकता है जो आज किराएदारों और औपचारिक वित्त प्रदाताओं के लिए उपचित हो रहा है। इसके अलावा, लेन-देन लागत को उन परिचालनों के स्केल के प्रकार के माध्यम से कम किया जा सकता है जो केवल बैंक ही प्राप्त करने में सक्षम हैं और यह स्वयं में मूल्य सृजन का एक स्रोत बन जाता है।

40. वित्तीय समावेशन को मात्र आंकड़ों के एक खेल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन के वास्तविक प्रभाव और विस्तृत बैंकिंग कवरेज को आधारभूत स्तर पर महसूस किया जाना चाहिए। मुझे पता है कि क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गये हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में, दिसंबर 2007 में राज्यस्तरीय बैंक समिति ने बैंकरहित ग्राम

पंचायतों में बैंक सुविधा देने के लिए एक कार्य दल गठित किया था। कार्य दल ने 511 ग्राम पंचायतों की पहचान की है जिसमें अगले तीन वर्षों में बैंक शाखाएं खोली जाएंगी और इसके पश्चात अगले तीन वर्षों में 427 ग्राम पंचायत केंद्रों में बैंक शाखाएं खोली जाएंगी। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत कार्यालयों के समीप परिसर उपलब्ध कराने और ऐसे केंद्रों पर सड़क संपर्क और बिजली जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान करने लिए सहमत हो गयी है।

41. जहां पर तुरंत एक स्वयंपूर्ण शाखा नहीं खोली जा सकती, बैंक अल्पतम अवधि के अंदर और अधिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सेटेलाइट कार्यालय, साप्ताहिक शाखा अथवा कारोबार प्रतिनिधि मॉडल का प्रयोग करके बिना बैंक वाले क्षेत्र में कवरेज को बढ़ा सकती है। प्रभावी ऋण सुपुर्दगी को और अधिक सुगम बनाने तथा भुगतान और प्रेषण की लागत को घटाने के अलावा, ऋण सूचना, ग्राहक सूचना को मजबूती प्रदान करने के लिए सूचना तकनीकी (आइटी) समाधानों को भी आजमाना चाहिए।

42. मैं समझता हूँ कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल में एक रोचक और नवोन्मेषी प्रयोग की शुरुआत की जा रही है। एक शहरी झोपड़पट्टी क्षेत्र अर्थात् बसंती कालोनी, उल्टाडांगा, कोलकाता में अक्टूबर 2008 के मध्य में 6 वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से एक वित्तीय समावेशन/साक्षरता अभियान की शुरुआत की गयी। ये बैंक हैं: भारतीय स्टेट बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा - इन बैंकों की झोपड़पट्टी के समीप शाखाएं हैं। खाते खोलने के लिए और उनके बैंक विशिष्ट उत्पादों के अभियान के लिए सभी छः बैंकों को अलग-अलग काउंटर आबंटित किये गये। खाताधारकों के लिए निःशुल्क फोटो सुविधा उपलब्ध करायी गई और इसकी लागत सभी सहभागी बैंकों द्वारा बांट ली गयी। ऐसे उपायों पर कार्यवाई

की जानी चाहिए तथा इन क्षेत्रों को सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि स्थानीय परिषद को बैंक खाते खोलने के लिए जरूरी पहचान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह प्रयोग दर्शाता है कि बैंक क्या कर सकते हैं यदि वे दायित्वशील, संवेदनशील, सक्रिय और परिणाम उन्मुख हैं।

43. जहां तक सेक्टरल ऋण प्रवाह की बात है, जबकि राज्य के एसडीपी में कृषि का हिस्सा अखिल भारतीय स्तर से अधिक है, कुल ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा मोटे तौर पर राज्य के लिए वही है। यह कृषि क्षेत्र में भरोसेमंद योजनाओं को तलाशने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। इस क्षेत्र में नाबार्ड को भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। चूंकि अति माइक्रो और छोटे उद्यमों का इस क्षेत्र में कुल ऋण का 7.2 प्रतिशत हिस्सा है, सिडबी की भी, एक विकास वित्त संस्था के रूप में, इस क्षेत्र में छोटे और मझौले उद्यम क्षेत्र को बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ाने और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

44. यद्यपि प्रायः इसे स्वीकृति नहीं दी जाती, प्रभावी वित्तीय मध्यस्थता भारत की हाल की वृद्धि की गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। जहां पर गरीबी और वंचना अधिक है, वहां पर प्रभावी वित्तीय मध्यस्थता एक सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में वरिष्ठ बैंक प्रबंधक के रूप में आप के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ा अवसर है। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आपको पहले की अपेक्षा और भी अधिक कार्यक्षम होना पड़ेगा, और एक बड़ा अवसर है क्योंकि दायित्वशील और संवेदनशील होकर, आप 'एक बड़ा परिवर्तन' ला सकते हैं।

समापन

45. आगे, वास्तविक अर्थव्यवस्था की गतिविधियां, वित्तीय बाजार और वैश्विक पण्य बाजार के मूल्य घटती

मुद्रास्फीति के साथ वृद्धि में कमी वाले दौर की ओर संकेत करते हैं। यद्यपि उत्साहजनक बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्व सुदृढ़ बने हुए हैं। वैश्विक बाजार में शांति और विश्वास वापस लौट आते ही भारत की आर्थिक गतिविधि में तेजी से सुधार होगा। लेकिन

समायोजन की कष्टप्रद अवधि अपरिहार्य है। यह आपके अर्थात बैंकों और हमारे अर्थात आरबीआइ के लिए एक सामूहिक चुनौती है कि हम इस असाधारण स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटें और भारत को वृद्धि और निर्धनता न्यूनीकरण के मार्ग पर वापस ले आएं।